पश्चिम बंगाल स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन

बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

अगस्त 20,2004

[एस. एन. वरियावा और जी. पी. माथुर, जे. जे.]

स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980:

स्वतंत्रता सेनानी के लिए पेंशन योजना- इस योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदकों को जेल अधिकारियों, डीएम या राज्य अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक था और इसके अभाव में एक सह-कैदी प्रमाण पत्र (सीपीसी) के साथ रिकॉर्ड अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र (एनएआरसी) भी जमा करवाना आवश्यक था। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के दो प्रमाण पत्र जो प्रमाणित रूप से एक साल जेल में रहे हैं या किसी मौजूदा सांसद या विधायक का प्रमाण पत्र- कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन किया- सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सलाहकार समिति को इन स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों को

सत्यापित करने का निर्देश दिया- यह पाया गया कि अधिकांश आवेदकों ने भूमिगत होने का दावा किया था- योजना के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाये गए- सह-स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमाण पत्र, एनएआरसीएस प्रमाण पत्र जमा किए बिना, प्रस्तुत किया गया- इसलिए सलाहकार समिति ने पेंशन के लिए आवेदनों को खारिज कर दिया- इसकी वैधताः अभिनिर्धारित- उच्चतम न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना संभव नहीं है क्योंकि राज्य सलाहकार समिति उपलब्ध सामग्री के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंची है- समिति के निर्णय को विकृत या ऐसा नहीं कहा जा सकता है जिस पर कोई तार्किक व्यक्ति नहीं पहुँच सकता है- भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 32

भारत सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के रूप में जानी जाने वाली एक योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों को योजना में उल्लिखित पेंशन प्राप्त होनी थी। इस योजना के तहत, आवेदकों को जेल प्राधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। इस तरह के प्रमाण पत्र के अभाव में -एक सह-कैदी प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.) के साथ अभिलेख प्रमाण पत्र की गैर-उपलब्धता(एन.ए.आर.सी.) प्रस्तुत करना था

अर्थात् स्वतंत्रता सेनानियों के दो प्रमाण पत्र जिनके द्वारा साबित रूप से एक वर्ष की अवधि जेल में व्यतित की गयी थी या किसी मौजूदा सांसद या विधायक द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र।

याचिकाकर्ता-संगठन के सदस्यों ने योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष पहले एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया कि उनके आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है और राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को याचिकाकर्ता-संगठन के सदस्यों के मामलों को सत्यापित करने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति नियुक्त करने का निर्देश दिया था। यह पाया गया कि अधिकांश आवेदकों ने भूमिगत होने का दावा किया था। आवेदकों ने योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों को भी प्रस्तुत नहीं किया था। सभी आवेदकों ने योजना के तहत आवश्यकता के अनुसार एन.ए.आर.सी. को प्रस्तुत किए बिना सह-स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमाण पत्रों पर भरोसा किया। इसलिए समिति ने राय दी कि कोई भी आवेदक पेंशन के लिए पात्र नहीं था।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि: -

1. उच्चतम न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना संभव नहीं है क्योंकि राज्य सलाहकार समिति उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची है। समिति के निर्णय को विकृत या ऐसा नहीं कहा जा सकता है जिस पर कोई तार्किक व्यक्ति नहीं पहुँच सकता है- [674- ए]

मुकुंद लाल भंडारी बनाम। भारत संघ, [1993] सप, 3 एससीसी 2, पर भरोसा किया।

संदर्भित:- चैतन्य चरण दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए.आई.आर. (1995) कलकत्ता, 336; गुरदियाल सिंह बनाम भारत संघ, [2001] 8 एस.सी.सी. 8; भारत संघ बनाम मोहन सिंह, [1996] 10 एस.सी.सी. 351 और महाराष्ट्र राज्य बनाम रघुनाथ गजानन, (2004) 6 स्केल 478।

दीवानी मूल क्षेत्राधिकार की रिट याचिका (सी) संख्या 68/1999

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

जयदीप गुप्ता, राणा एस. बिस्वास और श्रीमती सरला चंद्र याचिकाकर्ता की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. पी. मल्होत्रा, हेमंत शर्मा और सुश्री सुषमा सूरी ने भाग लिया।

प्रत्यर्थी के लिए एस. के. भट्टाचार्य (एन. पी.)।

जनार्दन दास, सुश्री श्वेतकेतु मिश्रा और सुश्री मौसमी गहलोत, एम/एस सिन्हा के लिए और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए दास।

श्रीमती सुनीता रे (एन. पी.)

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था:- एस.एन.वरियावा, जे.: भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, इस रिट याचिका के द्वारा याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत चाहते हैं:-

> " स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए राज्य सरकार को प्रादेश/आदेश/निर्देश जारी करना ताकि स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते याचिकाकर्ता संगठन को योजना की शुरुआत दिनांक 1.8.80 से पेशन के भुगतान में तेजी लायी जा सके।"

यह याचिका उस संगठन द्वारा दायर की गई है जिसके सदस्य स्वतंत्रता सेनानी होने का दावा करते हैं।

भारत सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 (जिसे इसके बाद 'योजना' कहा जाएगा) के रूप में जानी जाने वाली एक योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों को योजना में उल्लिखित पेंशन प्राप्त होनी थी। कोई भी व्यक्ति, जिसे स्वतंत्रता से पहले मुख्य भूमि की जेलों में कम से कम छह महीने का कारावास झेलना पड़ा था या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्रता सेनानी के मामले में जिसे कम से कम तीन महीने के लिए कारावास झेलना पड़ा था, वह पेंशन प्राप्त करने का पात्र है। दावे को साबित करने का तरीका इस प्रकार हैं:-

" आवेदकों को अपनी दावाकृत पीड़ाओं को साबित करने के लिए नीचे दिए गए उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना चाहिए, जो भी योजना के तहत पेंशन देने के लिए लागू हो।"

(ए) सुधार/विवरणः

संबंधित जेल प्राधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार से सजा की अवधि, प्रवेश की तारीख, रिहाई की

तारीख और रिहाई के कारणों को बताते हुये प्रमाण पत्र, संबंधित प्राधिकरण का सह-कैदियों के प्रमाणपत्रों(सी.पी.सी.) के साथ अभिलेख प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता (एन. ए. आर. सी.) निम्नानुसार हैः-

(I) ऐसे पेंशनभोगियों स्वतंत्रता सेनानीयों से जिनकों एक वर्ष की सिद्ध जेल हुई हो, दो सह-कैदियों के प्रमाण पत्र।

या

(ii) किसी मौजूदा सांसद या एम. एल. सी. या किसी पूर्व सांसद या पूर्व विधायक से एक सह-कैदी प्रमाण पत्र जिसमें उसकी और आवेदक की जेल अवधि निर्दिष्ट किया गया हो। (आवेदन पत्र में अनुलग्नक-I)

(बी) अदालत/सरकार के आदेशों के माध्यम से आवेदक को अपराधी उद्घोषित करने, उसके सिर पर पुरस्कार की घोषणा करने या उसकी गिरफ्तारी या उसे हिरासत में लेन का आदेश देनेवाला दस्तावेजी साक्ष्य। आधिकारिक अभिलेखों में ऐसे प्रमाणपत्रों के अभाव में, संबंधित अधिकारियों से अभिलेख अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के साथ एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी

का प्रमाण पत्र, जो कम से कम दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास में रहा था।"

इस प्रकार यह देखा जाना चाहिए कि आवेदक को जेल प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य प्राधिकारियों से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें दी गयी सजा की अवधि, प्रवेश की तारीख, रिहाई की तारीख और रिहाई के कारणों का उल्लेख हो और ऐसा नही होने पर सह-कैदियों के प्रमाणपत्रों (सी.पी.सी.) के साथ अभिलेखों की अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एन.ए.आर.सी.) अर्थात प्रमाणित रूप से एक वर्ष के लिए जेल में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के दो प्रमाण पत्र या मौजूदा सांसद या विधायक या पूर्व सांसद या पूर्व विधायक से एक प्रमाण पत्र। व्यक्तियों के भूमिगत हो जाने की स्थिति में आवेदक को अपराधी उद्घोषित करने या उसकी गिरफ्तारी के लिए पुरूस्कार की घोषणा करने या उसे हिरासत में लेने का आदेश देनेवाला जैसे दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध करवाने होगे। आधिकारिक रिकॉर्ड के अभाव में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का एक प्रमाण पत्र दिया जाना था, जो कम से कम दो साल की अवधि के लिए कारावास में रहा था।

याचिकाकर्ता संघ के सभी सदस्यों ने पेंशन के लिए आवेदन किया था। उनका यह मामला है कि उनके आवेदनों को संसाधित नहीं किया जा रहा था और यह कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही थी। इस न्यायालय ने 12 अक्टूबर, 2001 के अपने आदेश द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को निर्देश दिया कि वह एक राज्य सलाहकार समिति नियुक्त करें, यदि पहले से नियुक्त नहीं की गई है, और समिति को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता संगठन के सदस्यों के मामलों को सत्यापित करें और इस न्यायालय को अपनी राय दें।

पश्चिम बंगाल राज्य ने 4 फरवरी, 2002 को एक हलफनामा दायर किया जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि राज्य सलाहकार समिति ने सभी के मामले पर विचार किया था और सभी आवेदनों को खारिज कर दिया था।

इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15 फरवरी, 2002 द्वारा राज्य सरकार को सत्यापन के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण देते हुए बेहतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इसलिए राज्य सरकार ने 22 मार्च 2002 को एक और हलफनामा दायर किया, जिसके साथ राज्य सलाहकार समिति की बैठक के मिनटों की एक प्रति संलग्न की, जिसमें अन्य बातों के साथ-

साथ, यह भी अभिलिखित किया गया था कि संबंधित जिलों के डी. आई. जी, आई. बी./एस.पी.डी.आई.बी. से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। यह भी देखा गया कि उपलब्ध अभिलेखों से उनके दावों की पुष्टि नहीं हुई थी और आवेदकों ने योजना के तहत आवश्यकतानुसार आधिकारिक अभिलेख जमा नहीं किए थे और योजना के तहत आवश्यकता के अनुसार एन.ए.आर.सी. भी जमा नहीं किए थे। यह कहा गया था कि इन कारणों से आवेदन खारिज कर दिए गए थे। 20 नवंबर, 2003 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने समिति से प्रत्येक आवेदक के संबंध में विवरण प्रदान करने के लिए कहा, जिससे कारण दावा खारिज कर दिया गया। इस निर्देश के अनुसरण में, 6 जनवरी, 2004 को एक हलफनामा दायर किया गया है। इस हलफनामा के साथ आवेदकों के नाम, उनके दावे, देखी गई रिपोर्ट और समिति के विचार बताने वाला चार्ट भी निर्धारित किए गया हैं। इस चार्ट से यह देखा जा सकता है कि बहुत कम संख्या में आवेदकों को छोड़कर अन्य सभी आवेदक भूमिगत होने का दावा करते हैं। यह भी स्पष्ट है कि किसी भी आवेदक ने योजना के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। वे सभी योजना के तहत आवश्यक एन.ए.आर.सी.एस. प्रस्तुत किए बिना केवल सह-स्वतंत्रता सेनानियों से प्रमाण पत्रों पर पर निर्भर थे।

इस न्यायालय के उपर्युक्त आदेश और दायर किए गए हलफनामे, वास्तव में, रिट याचिका को तैयार करते हैं। जैसा कि राज्य सरकार और राज्य सलाहकार समिति ने अब राय दी है कि कोई भी आवेदक पात्र नहीं था, केंद्र सरकार को पेंशन के भुगतान के लिए कोई रिपोर्ट भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस स्थिति का सामना करते हुए यह कहा गया कि इस तरह के मामले में न्यायालय को तकनीकी पहलुओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि याचिका के सार पर आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। याचिका के विषय में यह कहा गया कि याचिका का विषय यह था कि योजना के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों को पेशंन का भुगतान किया जाए। यह कहा गया कि इसी इरादे से यह न्यायालय उपरोक्त आदेश पारित कर रहा है। यह कहा गया कि जो हलफनामे दायर किये गये है, उनसे यह स्पष्ट है कि सरकारें स्वयं कह रही थी कि इनमें से किसी भी मामले में कोई जेल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था और समिति केवल खुफिया विभाग द्वारा बनाए गए कुछ रिकॉर्ड को देख रही थी। यह कहा गया था कि यह इस योजना द्वारा अपेक्षित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था और ये सभी ऐसे मामले थे जहां आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे और इसलिए सह-स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाने चाहिए थे।

एआईआर (1995) कलकत्ता 336 में रिपोर्ट किए गए चैतन्य चरण दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह योजना विचाराधीन थी। इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि आवेदनों की जॉच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया जाए। आगे यह निर्देश दिया गया था कि एक बार सरकार दावे की वास्तविकता और प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट हो जाए तो भुगतान करना होगा। यह भी निर्देश दिया गया कि इस तरह के भुगतान पर, भुगतान आवेदन दाखिल करने की तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बात से अवगत थी कि कई मामलों में अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे मामलों में जहां अभिलेख उपलब्ध नहीं था, आवेदक का दावा सह-कैदी के व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित था। इस पर हल्के से अविश्वास नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए।

[2001] 8 एस. सी. सी. 8 में रिपोर्ट किये गये गुरदियाल सिंह बनाम भारत संघ के मामले पर भी भरोसा किया गया था। इस मामले में

आवेदन स्वीकार कर लिए गए थे और पेंशन, आवेदन की तारीख 13 मार्च, 1973 के बजाय 29 अप्रैल, 1998 से दी गई थी। आवेदनकर्ता ने उसके आवेदन की तारीख से पेंशन की मांग करने वाली एक रिट याचिका दायर की। इसके बाद सरकार ने एक कारण दर्शाने का नोटिस जारी किया कि क्यों न उनकी पेंशन रद्द कर दी जाए। उनके जवाब के बावजूद सरकार ने पेंशन देने वाले अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया। इसे आवेदक ने चुनौती दी थी। इस न्यायालय के समक्ष सरकार ने आवेदन में मामूली विसंगतियों और विरोधाभासों को दिखाकर रद्द करने को उचित ठहराने का प्रयास किया। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

7. ऐसे मामलों में आवश्यक सबूत का मानक ऐसा नही है जो किसी आपराधिक मामले में या पक्षकारो के प्रतिद्वंद्वी तर्कों या साक्ष्य के आधार पर निर्णयित मामले में आवश्यक होता है। इस योजना का उद्देश्य देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों का सम्मान करना और उनकी पीड़ा को कम करना है, इस योजना के तहत पेंशन चाहने वाले व्यक्ति के मामले के गुण-दोष का निर्धारण करते समय एक उदार और ना कि तकनीकी दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को इस योजना के दायरे में लाया जाना है,

उन्होंने लगभग आधी सदी पहले देश के लिए कष्ट सहा था और उन्हें उनके द्वारा झेली गई कैद के लिए पुरस्कृत होने की उम्मीद नहीं थी। एक बार जब देश ने ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय ले लिया है, तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों की जांच करने का काम सौंपे गए नौकरशाहों से अपेक्षा की जाती है कि वे योजना का प्रयोजन व उद्देश्य को ध्यान में रखें । इस योजना के तहत दावेदारों के मामले का निर्धारण संभावनाओं के आधार पर किया जाना आवश्यक है न कि "उचित संदेह से परे" के परीक्षण के आधार पर। एक बार साक्ष्य के आधार पर यह संभावना है कि दावेदार को देश के हित के लिए और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कारावास का सामना करना पड़ा था, उसके पक्ष में एक अनुमान लगाया जाना आवश्यक है जब तक कि इसका ठोस उचित और विश्वसनीय साक्ष्य से खंडन नहीं किया जाता है।

8. हमने घृणा के साथ देखा है कि प्रत्यर्थी अधिकारी ने एक स्वतंत्रता सेनानी के मामले से निपटने के दौरान एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है और स्वतंत्रता आंदोलन में पीड़ितों को लाभ देने के उद्देश्य से योजना के बुनियादी सिद्धांतों/उद्देश्यों की अनदेखी की है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, विरोधाभासों और विसंगतियों को ऐसी सामग्री नहीं

माना जा सकता है जिसे अपीलार्थी को पेंशन प्राप्त करने के उसके अधिकार से वंचित करने का आधार बनाया जा सके। अपीलार्थी के मामले का निपटारा कानून और योजना के शासनादेश की अनदेखी करके किया गया है। ऐसा प्रतित होता है कि आलोच्य आदेश इस न्यायालय के फैसले मुकुंद लाल भंडारी मामला [1993] पूरक 3 एस.सी.सी. 2. की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए, पक्षपातपूर्ण और बंद दिमाग से पारित किया गया है। हम आगे महसूस करते हैं कि अपीलार्थी, जिसमें उनके खाते में पेंशन के अनुदान को उचित ठहराया गया था, को पेंशन देने के बाद, उत्तरदाता द्वारा पहले से मौजूद सामग्री के आधार पर उनके दावे को अस्वीकार करना उचित नहीं था। अपीलार्थी को, बिना किसी गलती के, अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में घसीटा गया है ।

इस न्यायालय की उपर्युक्त टिप्पणियों पर गहरा भरोसा किया गया था और यह कहा गया कि ऐसे मामलों में एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यह कहा गया जिन लोगों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनका सम्मान करना और उनकी पीड़ाओं को कम करने के उद्देश्य से एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, न कि कोई तकनीकी दृष्टिकोण। यह भी कहा गया कि एक बार जब स्वतंत्रता

सेनानियों को सम्मानित करने के इरादे से योजना की घोषणा की गयी थी, तो योजना के प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए और योजना के तहत दावेदारों के मामले का निर्धारण संभावनाओं के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि युक्तियुक्त सन्देह से परे की कसोटी के आधार पर।

दूसरी ओर, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान ए.एस.जी. श्री पी. पी. मल्होत्रा और पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जनार्दन दास ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभिलेख उपलब्ध न हों। यह भी निवेदन किया गया कि, इस मामले में, राज्य सरकार ने एक वैधानिक सलाहकार समिति नियुक्त की थी जिसने सभी आवेदनों पर गौर किया था । यह कहा गया कि आवेदकों ने योजना के प्रावधानों का पालन नहीं किया है क्योंकि उन्होंने संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। यह भी निवेदन किया गया कि सभी आवेदकों ने एन.ए.आर.सी. प्रस्तुत किए बिना सह-कैदी से प्रमाण पत्र दिए हैं। यह बताया गया कि अधिकांश मामलों में आवेदक दावा करते हैं कि उन्हें भूमिगत रहना पडा था और फिर भी प्रमाण पत्र एक ऐसे कैदी द्वारा दिया गया है जिसके बारे में माना जाता था कि वह खुद जेल में था। यह बताया गया कि सरकार ने पेंशन का दावा करने में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी देखी

है और इसलिए सख्त दिशानिर्देश जारी किये, जिनका सलाहकार समिति द्वारा पालन किया गया है।

[1993] सप्लिमेंट 3 एस. सी. सी. 2, में रिपोर्ट किए गए मुकुंद लाल भंडारी बनाम भारत संघ के मामले पर भरोसा किया गया था। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि योजना में उन दस्तावेजों का उल्लेख है जिन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दस्तावेजों की जांच करना न्यायालयों का काम नहीं है। यह माना कि दस्तावेज़ की जांच करना और उनकी वास्तविकता पर निष्कर्ष देना सरकार का काम है।

[1996] 10 एस. सी. सी. 351 में रिपोर्ट किए गए भारत संघ बनाम मोहन सिंह के मामले पर भी भरोसा रखा गया था। इस मामले में भी आवेदन केवल एक विधायक और एक सह कैदी के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया गया था। सरकार ने प्रमाण पत्र को दावा/क्लेम को कायम रखने के लिए अपर्याप्त पाया। हालॉकि, उच्च न्यायालय ने माना कि प्रमाणपत्र पर्याप्त थे और पेंशन के भुगतान का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए, इस न्यायालय ने मुकुंद लाल भंडारी (उपरोक्त) की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए अभिनिर्धारित किया कि

सबूतों का विवेचन करना उच्च न्यायालय का काम नहीं है। यह माना गया कि एक बार जब सरकार यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि दस्तावेज़ पर्याप्त नहीं हैं तो उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

हमारा ध्यान इस न्यायालय के 1999 की सिविल अपील सं. 1850 दिनांकित 24 सितंबर, 2003 में एक अप्रकाशित आदेश की ओर भी आकर्षित किया गया है। इस मामले में इसी योजना के तहत आवेदन किया गया था। जेल का कोई रिकॉर्ड नहीं था और केवल एक व्यक्ति का शपथ पत्र, जो जेल में उससे मिलने गया था और एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस न्यायालय ने मुकुंद लाल भंडारी के मामले (उपरोक्त) में टिप्पणियों पर ध्यान देते हुए कहा कि योजना के तहत आवश्यक सबूत प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया कि योजना के तहत अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो लाभ नही दिया जा सकता।

[2004] 6 एससीएएलई 478 में रिपोर्ट किए गए महाराष्ट्र राज्य बनाम रघुनाथ गजानन के मामले पर भी भरोसा किया गया था, जिसमें यह फिर से दोहराया गया कि दावे की वास्तविकता के संबंध में संतुष्ट होना सरकार का काम है और न्यायालय एक अपीलीय प्राधिकरण की तरह

राज्य सरकार के निर्णय पर निर्णय नही कर सकता है। यह माना गया है कि न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन और/या राज्य सरकार द्वारा निकाले निष्कर्षों को उलट नहीं सकता है, जब तक कि वे विकृत न हों या ऐसे न हों कि कोई तार्किक व्यक्ति उचित रूप से कार्य करके उन तक न पहुँच सके। इस मामले में, न्यायालय ने गुरूदयाल सिंह के मामले (उपरोक्त) की टिप्पणियों पर गौर किया और माना कि गुरूदयाल सिंह के मामले की टिप्पणियॉ मुकुंद लाल भंडारी का मामले (ऊपर) में निर्धारित मानकों का नकारती नही है और वे मानक लागू होते रहेगें। पक्षों को सुनने के बाद, यह मानते हुए कि याचिका पेंशन के भुगतान के लिए थी, हम पाते हैं कि इस न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना संभव नहीं है क्योंकि समिति उपलब्ध सामग्री के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंची है। समिति के निर्णय को विकृत या ऐसा नहीं कहा जा सकता है जिस पर कोई तार्किक व्यक्ति नहीं पहुँच सके। इसलिए हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।

हालाँकि, हम पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वकील श्री जनार्दन दास का बयान दर्ज करते हैं कि केंद्र सरकार के हाल के नीतिगत निर्णय के अनुसार दावा करने वाले व्यक्तियों के सभी आवेदन, जिन्हें उन क्षेत्रों की

जेलों में नजरबंद किया गया है, जो अब बांग्लादेश में हैं, उन पर विचार के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। कोस्ट के बारे में कोई आदेश नही दिया जा रहा।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनील कुमार यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।